APP-A
Crime-1

Form-III

फर्द अहकाम

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

श्री मणिलाल पिता धुलिया जाति भील निवासी रैयाना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा। **बनाम** श्री ~~मनोज~~ मानेंग पिता रूपेंग जाति भील वगैरह निवासी रैयाना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा।

किस्म मुकदमा:– ईजराय 21 कायदा 11 सी.पी.सी.।

प्रकरण संख्या: **3 / 2025**

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज**	**नम्बंर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।**
20.1.2025	पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टंर होकर पेश हुई। प्रार्थी श्री मणिलाल पिता धुलिया जाति भील निवासी रैयाना तहसील अरथूना जिला बांसवाडा ने पूर्व में जारी निर्णय की पालना कराई जाने ईजराय पेश की। अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 05.2.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गढ़ी	
5.2.25	पत्रावली पेश हुई। रिस्पोण्डेन्ड / अप्रार्थीगण के नाम जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त। रिस्पोण्डेन्ड संख्या 02 की ओर से श्री अंकित सिंह समाधिया का वकालतनामा पेश हुआ। P.O. साहब अन्य अन्य राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 19.2.25 को पेश हो।	
19.2.25	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट व उनके अभिभाषक तथा रिस्पोण्डेन्ड के अभिभाषक उपस्थित। अपिलान्ट अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में बताया कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 189/2022 [illegible] धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निर्णित किया जा [illegible] भूमि पर अपीलान्ट के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वाद ग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसे हटाने तथा पूर्व निर्णित वाद की पालना हेतु ईजराय	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.04.17 11:10:11 IST
Reason: SelfAttested

अन्तर्गत धारा 21 कायदा ।। CPC पेश किया है। जिसे स्वीकार कर प्रतिवादीगण का अतिक्रमण हटाने का निवेदन किया।

पत्रावली तथा पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत पूर्व वाद के निर्णय का अवलोकन किया। पूर्व वाद अन्तर्गत धारा 188 R.T.Act के तहत पेश हो कर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगणों को अतिक्रमण नहीं करने न ही किसी ओर से करने तथा वादी के शांतीपुर्ण काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त वाद के निर्णय में कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया था की पुर्व से हुए अतिक्रमण को हटाया जाय। यदि वादी को पुर्व से हुए अतिक्रमण को हटाना था तो वाद अन्तर्गत धारा 183 के तहत पेश कर प्रतिवादीगण की बेदखली करानी चाहिए थी। इस प्रकार उक्त प्रकरण के तथ्यों एवं प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण ~~आदेश~~ डिक्री आदेश 22 नियम ।। CPC के अन्तर्गत विचारण योग्य नहीं होने से प्रार्थना-पत्र ख़ारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.2.25 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.04.17 11:10:11 IST
Reason: SelfAttested